न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,

पीठासीन अधिकारी :– मृदुला शेखावत, आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या :– 125/2024

प्रार्थीगण :–

नरेन्द्र सिंह पुत्र रामचन्द्र जाति जाट निवासी बेरा भुतावा बिलाडा तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

बनाम

अप्रार्थी :–

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बिलाड़ा

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

उपस्थिति :– प्रार्थी की ओर से श्री मदनलाल चौधरी एडवोकेट
अप्रार्थी संख्या सरकारी पैरोकार

आदेश दिनांक 18/1/24

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 3 तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा संख्या 598 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा संख्या 598/1 रकबा 0.2023 हैक्टेयर, खसरा संख्या 598/2 रकबा 0.0647 हैक्टेयर आई हुई है। उक्त तीनों खसरा का मूल खसरा संख्या 598 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा था। जो खातेदार सुखाराम पुत्र मंगाराम जाति जाट सा. देह खातेदार के नाम दर्ज था। खातेदार सुखाराम द्वारा उक्त खसरे में से रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा भूमि क्रेता जयसिंह पुत्र रामचन्द्र को बैचान की, बैचानसुदा भूमि रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा के पड़ौस रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 19.02.2016 के अनुसार उतर तरफ भूमि का निकाल व रास्ता जो आप खरीददार का निजी रहेगा व श्री जोधाराम की भूमि, दक्षिण तरफ बैचानकर्ता सुखाराम की शेष भूमि, पूर्व तरफ क्रेता जयसिंह स्वयं की भूमि व पश्चिम में नरेन्द्रसिंह को बेची गयी 8 बिस्वा भूमि स्थित है, खातेदार सुखाराम द्वारा जयसिंह को बैचे गये उपरोक्त रकबा के नये खसरा नम्बर 598/1 है। खातेदार सुखाराम द्वारा उक्त खसरें में से शेष रकबा 10 बिस्वा में से रकबा 8 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 19.02.2016 द्वारा प्रार्थी को बैचान की तथा बैचानसुदा भूमि रकबा 8 बिस्वा के पड़ौस रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 19.02.2016 के अनुसार उतर तरफ भूमि का निकाल व रास्ता व श्री जोधाराम की भूमि, दक्षिण तरफ बैचानकर्ता सुखाराम की शेष भूमि, पूर्व तरफ श्री जयसिंह को बेची गयी 1 बीघा 5 बिस्वा भूमि व पश्चिम में बिलाड़ा से जैतीवास जाने वाली आम सड़क स्थित है, खातेदार सुखाराम द्वारा प्रार्थी को बैचे गये उपरोक्त रकबा के नये खसरा नम्बर 598/2 है। खातेदार सुखाराम के उक्त दोनो बैचान के बाद उनके हिस्से में 2 बिस्वा भूमि शेष रही, जिसके मूल खसरा नम्बर 598 है जो खसरा संख्या 598/1 व 598/2 की दक्षिण तरफ स्थित है। खातेदार सुखाराम द्वारा प्रार्थी व जयसिंह को बैचान की गयी भूमि व खातेदार सुखाराम के शेष रही भूमि की सही तरमीम संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार होनी चाहिए थी परन्तु हल्का पटवारी द्वारा खसरा संख्या 598, 598/1 व 598/2 की ऑनलाईन नक्शे में तरमीम बैचान में वर्णित पड़ौस के अनुसार दर्ज नही

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

की अपितु ऑनलाईन नक्शे में तीनों खसरों की तरमीम बैचान में वर्णित पड़ौस के विपरित गलत दर्ज की। ऑनलाईन नक्शा में की गयी गलत तरमीम खसरा संख्या 598/2 के स्थान पर खसरा संख्या 598/1 व 598 की तरमीम होनी चाहिए थी, इसी प्रकार खसरा संख्या 598 की तरमीम खसरा संख्या 598/1 व 598/2 के दक्षिण तरफ होनी चाहिए थी। जबकि ऑनलाईन नक्शे में खसरा संख्या 598 की तरमीम 598/1 व 598/2 के मध्य की गयी। खसरा संख्या 598/2 की तरमीम खसरा संख्या 598/1 के पश्चिम तरफ व खसरा संख्या 598 के उतर तरफ होनी चाहिए थी। जबकि ऑनलाईन नक्शे में खसरा संख्या 598/1 की तरमीम खसरा संख्या 598 के पश्चिम तरफ की गयी। इस प्रकार हल्का पटवारी द्वारा खसरा संख्या 598, 598/1 व 598/2 की ऑनलाईन नक्शे में की गयी गलत तरमीम के स्थान पर सही तरमीम जो संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार होनी चाहिए थी। प्रार्थी को उपरोक्त तीनों खसरान की गलत तरमीम की जानकारी होने पर प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी से सम्पर्क किया तथा उपरोक्त तीनों खसरान की गलत तरमीम के स्थान पर संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार सही तरमीम शुद्ध करने हेतु निवेदन किया तो प्रार्थी के निवेदन को अप्रार्थी द्वारा यह कहते हुए अस्वीकार कर दिया कि इस हेतु श्रीमान सक्षम है। इसलिए हल्का पटवारी द्वारा खसरा संख्या 598, 598/1 व 598/2 की ऑनलाईन नक्शे में की गयी गलत तरमीम के स्थान पर संलग्न नजरी नक्शे अनुसार सही तरमीम शुद्ध किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष पेश है। खसरा संख्या 598, 598/1 व 598/2 की भूमि राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 3 तहसील बिलाड़ा की राजस्व सीमा में स्थित होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत होने से प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का निस्तारण करने का माननीय न्यायालय को अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि राजस्व ग्राम बिलाड़ा चक नं. 3 तहसील बिलाड़ा में स्थित भूमि खसरा संख्या 598 रकबा 0.0162 हैक्टेयर, खसरा संख्या 598/1 रकबा 0.2023 हैक्टेयर व खसरा संख्या 598/2 रकबा 0.0647 हैक्टेयर की ऑनलाईन नक्शे में की गयी गलत तरमीम के स्थान पर सही तरमीम प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा के अनुसार शुद्ध /दुरूस्त किये जाने हेतु अप्रार्थी को आदेशित किया जावे।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये समन से तलब किया गया। अप्रार्थी सरकारी पैरोकार की ओर से जवाब मय नजरी नक्शा पेश किया गया जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बिलाडा चक 3 तहसील बिलाडा की राजस्व सीमा में स्थित भूमि खसरा सं. 598 रकबा 0.0162 हैक्टयर, खसरा सं. 598/1 रकबा 0.2023 हैक्टयर, खसरा सं. 598/2 रकबा 0.0647 हैक्टयर के मूल खसरा 598 रकबा 1–15 बीघा थे। जो खातेदार सुखाराम पुत्र मंगाराम जाति जाट के नाम दर्ज थी। खातेदार सुखाराम द्वारा खसरा सं. 598 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा में से रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा भूमि जयसिंह पुत्र रामचन्द्र को जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 19.02.2016 द्वारा बैचान की। जिसके नये खसरा नंबर 598/1 है, तथा शेष रकबा 10 बिस्वा में से 8 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैचाननामा दिनांक 19.02.2016 द्वारा प्रार्थी नरेन्द्रसिंह को बैचान की, जिसके नये खसरा नंबर

सहायक कलक्टर
एवं उप खण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

598/2 है तथा खातेदार सुखाराम के हिस्से में शेष रही 2 बिस्वा के मूल खसरा नंबर 598 है। ऑनलाईन नक्शे में उपरोक्त तीनों खसरों की तरमीम बैचाननामा में वर्णित पडौस अनुसार नहीं की गई है। जबकि बैचाननामा में वर्णित पडौस अनुसार सही तरमीम प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार होनी चाहिए। नामा.सं. 7941 बैचान, नामा.सं. 7958 बैचान के जरिये मूल खसरा नंबर 598 का विभाजन, 598, 598/1, 598/2 के रूप में हुआ तथा नामा. की पुश्त पर उक्त खसरान का नजरी नक्शा रिपोर्ट के साथ संलग्न है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि खसरा सं. 598, 598/1, 598/2 वाके ग्राम बिलाडा चक 3 की ऑनलाईन नक्शे में की गई गलत तरमीम के स्थान पर सही तरमीम प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे अनुसार शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की जाती है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया जवाब एवं फर्द मौका रिपोर्ट पर मनन एवं अध्ययन किया गया। जिससे विदित होता है कि ग्राम बिलाडा चक 3 के खसरा सं. 598/2 रकबा 0.2023 हैक्टयर प्रार्थी की रेकर्डेड खातेदारी की भूमि है, लेकिन नक्शा ट्रेस में भूमि खसरा नम्बर 598/2 की तरमीम गलत कब्जे से भिन्न दर्शायी गयी है तथा लटठा ट्रेस में तरमीम नही की गयी है जो भूमि प्रार्थी को आवंटित भूमि है प्रार्थी द्वारा खसरा नंबर 598 के खातेदार सुखाराम पुत्र मंगाराम व खसरा नंबर 598/1 के खातेदार जयसिंह पुत्र रामचन्द्र जो उपरोक्त खसरान के रेकर्डेड खातेदार है जिनको पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था किन्तु प्रार्थी द्वारा रेकर्डेड खातेदार को पक्षकार नहीं बनाया गया है और ना ही पक्षकार बनाये जाने का कारण स्पष्ट किया। अतः रेकर्डेड खातेदार को पक्षकार बनाये बिना पत्रावली का निर्णय करना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 131 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम को प्रभावित खसरों के काश्तकार को पक्षकार नहीं बनाये जाने के अभाव में खारिज किया जाता है।

(मृदुला शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 18/12/24 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
उपखण्ड अधिकारी
बिलाड़ा